न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–06(रा0)/2014–15

अनिल कुमार सिंह बनाम प्रमिला देवी वगैरह

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
12/5/18	**आदेश** इस वाद की कार्यवाही श्री अनिल कुमार सिंह, पिता–श्यामा प्रसाद सिंह, ग्राम–अलाउद्दीन चक, थाना+पो0–पुनपुन, जिला–पटना के द्वारा दिये गये आवेदन के आधार पर आरम्भ की गयी। श्री अनिल कुमार सिंह के द्वारा अपर समाहर्ता, पटना को दिनांक 17.07.2013 को इस आशय का आवेदन दिया गया कि अंचल–पुनपुन, मौजा–पकड़ी, थाना नं0–59, खाता नं0–34, खेसरा नं0–201 रकबा 33डी0 का क्रय उनके दादा रामदेवन सिंह के द्वारा किया गया था। श्रीमती प्रमिला देवी, पति विवेकानंद सिंह के द्वारा अवैध विक्रेता से उक्त भूखण्ड में से $5\frac{5}{6}$डी0 का क्रय कर अपने नाम से लगान रसीद कटवा ली गयी है। प्रमिला देवी की जमाबंदी सं0 $\frac{34}{1}$ को अवैध बताते हुए उसे रद्द करने का अनुरोध किया गया। राजस्व शाखा के पत्रांक–XV-184/13-1119/रा0 दिनांक 22.10.2013 के द्वारा प्राप्त परिवाद पत्र अंचलाधिकारी, पुनपुन को भेजते हुए, प्रतिवेदन की मांग की गयी। पुनः पत्रांक 945 दिनांक 16.12.2014 द्वारा स्मारित किया गया। अंचलाधिकारी, पुनपुन के पत्रांक 1352 दिनांक 27.12.2014 से जांच प्रतिवेदन एवं दाखिल खारिज वाद सं0 1023/2014–15 के अभिलेख की छाया–प्रति भेजी गयी, जिसके आधार पर जमाबंदी रद्द वाद सं0 06/2014–15 संधारित कर उभय पक्ष को नोटिस निर्गत की गयी। विपक्षीगण के द्वारा उपस्थित होकर अपना लिखित ब्यान दाखिल किया गया। विपक्षीगण के द्वारा दिनांक 09.09.2017 से वाद में पैरवी करना छोड़ दिया गया। दिनांक 07.05.2018 की निर्धारित तिथि को भी विपक्षीगण के अनुपस्थिति रहने की स्थिति में यह आदेश पारित किया गया कि अगली तिथि 12.05.2018 को भी यदि विपक्षीगण अनुपस्थित रहते हैं तो एक पक्षीय सुनवाई कर आदेश पारित किया जायेगा। विपक्षी आज भी अनुपस्थित हैं। आवेकदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर अभिलेख में उपलब्ध कागजात के आधार पर आदेश पारित किया	

जा रहा है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार :–

(1) प्रश्नगत भूखण्ड खाता सं0 34 खेसरा सं0 201 रकवा 33डी0 सर्वे खतियान में रामधनी वल्द नौरतन के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत के द्वारा अन्य भूखण्ड के साथ प्रश्नगत भूखण्ड कुल रकवा 33डी0 की बिक्री दिनांक 05.04.1917 के निबंधित केवाला से मोस्मात बिन्दा कुँवर को कर दिया। मो0 बिन्दा कुँवर एवं उनके पुत्रों के द्वारा दिनांक 03.05.1952 के निबंधित केवाला से अन्य भूखण्ड के साथ प्रश्नगत भूखण्ड 33डी0 राम देवन सिंह को लिख दिया गया। राम देवन सिंह के नाम से जमाबंदी कायम की गयी तथा 1965–66 तक लगान रसीद निर्गत है।

(2) रामदेवन सिंह के पुत्र श्यामा सिंह के द्वारा दिनांक 14.07.2014 के शपथ–पत्र के साथ एक आवेदन अंचलाधिकारी, पुनपुन को दिया गया कि उक्त 33डी0 भूखण्ड में से 21डी0 जमीन का पूर्व में अर्जन हो चुका है। शेष 12डी0 भूमि उनके दखल–कब्जे में है। उक्त 12डी0 की रसीद उनके तीन पुत्र सुधीर सिंह, अनिल कुमार सिंह एवं अरूण कुमार के नाम से काट दी जाय।

(3) श्यामा सिंह के आवेदन पर, अंचलाधिकारी, पुनपुन के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 1023/2014–15 आरम्भ कर राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन की मांग की गयी। राजस्व कर्मचारी के द्वारा प्रतिवेदन किया गया कि पंजी–2 में आवेदक के पूर्वज की जमाबंदी दर्ज नहीं है, परन्तु आवेदक के द्वारा 33डी0 की वर्ष 1965–66 की लगान रसीद साक्ष्य के रूप में समर्पित की गयी है। आवेदक के द्वारा 12डी0 के दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया है, परन्तु पंजी–2 में निम्न लोगों के नाम से जमाबंदी कायम है। पंजी–2 में वाद संख्या दर्ज नहीं है।

मौजा	जमाबंदी सं0	रैयत का नाम	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा
1	2	3	4	5	6
पकड़ी, थाना नं0 59	$\frac{34}{1}$	प्रमिला देवी, जोजे विवेकानंद सिंह, सा0–हसनपुरा	34	201	$05\frac{5}{6}$–डी0
	$\frac{48}{1}$	रामप्रीत पासवान वो शीतल प्रासवान वो गनपत पासवान वल्द अघोरी पासवान वो भुनेश्वर पासवान वो जुगेश्वर पासवान वो सर्वानंद पासवान, पिता प्यारे पासवान, साकिन–पकड़ी वगैरह	34	201	$11\frac{2}{3}$–डी0

राजस्व कर्मचारी के द्वारा दखल के संबंध में बताया गया कि वर्तमान में भूमि परती है तथा किसी के द्वारा जोत आबाद नहीं किया जा रहा है। दखल–कब्जा की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अंचल निरीक्षक के द्वारा अपने प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि पूछताछ में एक व्यक्ति सुखाड़ी यादव के द्वारा बताया गया कि वह अनिल कुमार सिंह के कहने पर उक्त भूमि को जोत आबाद करता है।

(4) अंचलाधिकारी, पुनपुन के द्वारा उभय पक्षों को नोटिस देकर

सुनवाई की गयी तथा सुनवाई के उपरान्त दिनांक 17.09.2014 को इस आशय का आदेश पारित किया गया कि यह मामला जमाबंदी रद्द किये जाने से संबंधित है। अतः आवेदक का आवेदन अस्वीकृत करते हुए उन्हें सक्षम न्यायालय में जाने की सलाह दी गयी।

(5) आवेदक के द्वारा दिनांक 17.02.2018 को इस आशय का आवेदन दिया गया कि इस न्यायालय में जमाबंदी रद्द वाद सं0 06/2014–15 लम्बित रहते हुए, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना के द्वारा I. A वाद सं0 64/2012–13 के अन्तर्गत विपक्षी प्रमिला देवी को प्रश्नगत भूखण्ड के मुआवजा का भुगतान कर दिया गया।

(6) आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा विपक्षी प्रमिला देवी की जमाबंदी सं0 $\frac{34}{1}$ को अवैध बताते हुए रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षीगण के लिखित प्रतिउत्तर के अनुसार

(1) प्रश्नगत भूखण्ड सर्वे खतियान में उनके पूर्वज रामधनी दुसाध, वल्द नवरतन के नाम से अंकित है। रामधनी दुसाध कुल चार भाई थे।

(2) आपसी बंटवारा में अन्य भूखण्ड के साथ प्रश्नगत खेसरा सं0 201 का $16\frac{1}{2}$डी0 रामधनी एवं उनके पुत्रों को तथा $16\frac{1}{2}$डी0 उनके भाई अघौरी दुसाध एवं उनके पुत्रों को प्राप्त हुआ।

(3) अघौरी पासवान की मृत्यु के उपरान्त उनके चार पुत्र रामप्रीत पासवान, शीतल पासवान, गनपत पासवान एवं प्यारे पासवान के नाम से उक्त $16\frac{1}{2}$डी0 का दाखिल खारिज दिनांक 04.03.1987 को हुआ।

(4) प्रश्नगत भूखण्ड $16\frac{1}{2}$डी0 में से 7डी0 एन0एच0–83 के निर्माण हेतु एल0ए0 केश नं0 17/1986–87 द्वारा अर्जित की गयी, जिसका मुआवजा वर्ष 1990–91 में प्यारे पासवान शीतल पासवान, रामप्रीत पासवान एवं गनपत पासवान को मिला।

(5) शेष $9\frac{1}{2}$डी0 जमीन में से $5\frac{5}{8}$डी0 जगीन समप्रीत पासवान एवं अन्य के द्वारा दिनांक 11.01.1993 को प्रमिला देवी को बिक्री कर दी गयी।

(6) प्रमिला देवी उक्त $5\frac{5}{6}$डी0 जगीन पर निर्विवाद रूप से दाखिल काबिज हुयी तथा उनके नाम से दाखिल खारिज होकर जमाबंदी सं0 $\frac{34}{1}$ कायम की गयी।

(7) शेष जमीन वर्तमान में महेन्द्र पासवान, पिता शीतल पासवन के शांतिपूर्ण दखल में है तथा दाखिल खारिज वाद सं0 1641/2014–15 के द्वारा दाखिल खारिज होकर जमाबंदी सं0 $\frac{51}{6}$ दर्ज है एवं राजस्व रसीद निर्गत हो रही है।

(8) आवेदक अनिल कुमार सिंह के पूर्वज रामदेवन सिंह को प्रश्नगत

भूखण्ड कैसे प्राप्त हुआ, इसका कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि प्रतिवादीगण के पूर्वजों के द्वारा उक्त भूखण्ड कभी रामदेवन सिंह को बेची ही नहीं गयी, प्रश्नगत भूखण्ड पर अनिल कुमार सिंह की दावेदारी खारिज करने योग्य है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, विपक्षीगण के लिखित प्रतिउत्तर एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते है।

(1) आवेदक अनिल कुमार सिंह के पिता श्यामा सिंह के द्वारा अंचलाधिकारी, सम्पतचक को शपथ–पत्र के माध्यम से यह कहा गया कि प्रश्नगत भूखण्ड के कुल खतियानी रकवा 33डी0 में से 12डी0 का दाखिल खारिज उनके तीन पुत्र सुधीर सिंह, अनिल कुमार सिंह एवं अरूण कुमार के नाम से कर दिया जाय। अर्थात अंचलाधिकारी, सम्पतचक के समक्ष आवेदक के द्वारा कुल 12डी0 भूखण्ड की दावेदारी की जा रही है, परन्तु इस न्यायालय में मात्र प्रमिला देवी के नाम से $5\frac{5}{6}$डी0 के लिए कायम जमाबंदी सं0 $\frac{34}{1}$ को रद्द करने हेतु आवेदन दिया गया। उसी भूखण्ड के लिए रामप्रीत पासवान वगैरह के नाम से $11\frac{2}{3}$डी0 जमीन के लिए कायम जमाबंदी सं0 $\frac{48}{1}$ पर कोई आपति नहीं की गयी है। इस प्रकार आवेदक का दावा विरोधाभासी प्रतीत होता है।

(2) आवेदक के द्वारा अंचलाधिकारी, सम्पतचक को प्रस्तुत अपने शपथ–पत्र एवं आवेदन में कहा गया है कि कुल खतियानी रकवा 33डी0 में से 21डी0 जमीन पूर्व में अर्जित कर ली गयी है। उक्त भूमि किस योजना में अर्जित की गयी तथा आवेदक अथवा उनके पूर्वज को उसका भुगतान मिलने का कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया, न ही इस न्यायालय में उपस्थापित किया गया।

दूसरी तरफ विपक्षीगण का दावा है कि प्रश्नगत भूखण्ड में से 7डी0 भूखण्ड अर्जन LA वाद सं0 17/1986–87 अंतर्गत एन0एच0 83 निर्माण हेतु अर्जित की गयी, जिसका मुआवजा भुगतान उन्हें प्राप्त हुआ। साक्ष्य के रूप में जिला भू–अर्जन कार्यालय, पटना की नोटिस जो गनपत पासवान के नाम से निर्गत है, तथा 38,198/– (अड़तीस हजार एक सौ अठानवे) रू0 का दिनांक 07.08.1990 का जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना द्वारा निर्गत चेक जो गनपत पासवान एवं अन्य के नाम से है की छाया–प्रति निम्न न्यायालय में जमा की गयी है।

इस परिस्थिति में आवेदक का यह दावा कि उनके स्वत्व एवं दखल की कुल 33डी0 भूमि में से 21डी0 का अर्जन पूर्व में हुआ था, साक्ष्य के अभाव में मान्य नहीं हो सकता। दूसरी तरफ प्रश्नगत खेसरा के 7डी0 का मुआवजा 1990 में विपक्षीगण को प्राप्त होने से प्रश्नगत भूखण्ड पर विपक्षीगण का हक एवं दखल प्रमाणित होता है।

(3) आवेदक का कहना है कि खतियानी रैयत के द्वारा दिनांक 05.04.1917 के केवाला से प्रश्नगत भूखण्ड मो0 बिन्दा कुँवर को बेच दी गयी तथा बिन्दा कुँवर के द्वारा दिनांक 03.05.1921 के केबाला से प्रश्नगत भूखण्ड आवेदक के पूर्वज रामदेवन सिंह को बेच दी गयी। चूँकि खतियानी रैयत के द्वारा दिनांक 05.04.1917 के केवाला से ही प्रश्नगत भूखण्ड मो0 बिन्दा कुँवर को बेच दी गयी थी, अतः प्रश्नगत भूखण्ड पर खतियानी रैयत के वंशज का कोई हक नहीं रहा। दूसरी तरफ विपक्षीगण का कहना है कि उनके पूर्वज के द्वारा रामदेवन सिंह को प्रश्नगत भूखण्ड की बिक्री ही नहीं की गयी है।

यह मामला स्वत्व के निर्धारण का है, जिसका निर्णय सक्षम व्यवहार न्यायालय से ही हो सकता है।

(4) आवेदक के पूर्वज को यदि उक्त भूखण्ड दिनांक 30.05.1921 के केवाला से प्राप्त थी, तो आवेदक के पूर्वज के द्वारा तत्कालीन मध्यवर्ती जमीन्दार को लगान अदा किया जाता होगा। मध्यवर्ती जमीन्दार के द्वारा आवेदक के पूर्वज के नाम से रिटर्न दाखिल किया गया होगा। आवेदक के द्वारा जमीन्दारी लगान रसीद अथवा जमीन्दारी रिटर्न की प्रति दाखिल नहीं की गयी है, जिसके आधार पर प्रश्नगत भूखण्ड पर उनका दावा स्थापित हो सके।

(5) जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात आवेदक के पूर्वज के नाम से बिहार सरकार के सरिस्ता में जमाबंदी कायम होनी चाहिए, परन्तु प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी आवेदक के पूर्वज के नाम से कायम की गयी थी, ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आवेदक के द्वारा वर्ष 1965–66 की पकड़ी मौजा की 33डी0 की लगान रसीद की छाया–प्रति दाखिल की गयी है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त लगान रसीद किस खाता खेसरा से संबंधित है। पंजी–2 में आवेदक के पूर्वज के नाम से जमाबंदी कायम नहीं है, अतः उक्त लगान रसीद की छाया–प्रति के आधार पर प्रश्नगत भूखण्ड पर आवेदक का दावा मान्य नहीं हो सकता।

(6) दाखिल खारिज वाद सं0 1023/2014–15 में राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन है कि विपक्षीगण की जमाबंदी बिना सक्षम आदेश एवं वाद संख्या के कायम है। विपक्षीगण के द्वारा निम्न न्यायालय में पंजी–2 की छाया प्रति दाखिल की गयी है, जिसमें परिवर्तन के लिए प्राधिकार कॉलम में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि

"कैम्प केस दिनांक 04.03.1987 के द्वारा 4डी0 रकवा एवं लगान जमाबंदी नं0 106 पर गया। दाखिल खारिज केस नं0 16 सन 1989–90 के अनुसार अघोरी पासवन के जगह पर रामप्रित पासवान वगैरह का नाम दर्ज किया गया।"

स्पष्ट है कि अन्य भूखण्डों के साथ प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी वर्ष 1987 के पहले से आवेदकगण के पूर्वज अघोरी पासवान के नाम से कायम थी। पंजी–2 पर कैम्प केस की तिथि एवं दाखिल खारिज वाद

संख्या भी अंकित है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन झूठा एवं भ्रामक है।

(7) आवेदकगण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 09/1989–90, 10/89–90 एवं 11/89–90 में दिनांक 25.08.1990 को पारित आदेश की छाया–प्रति निम्न न्यायालय में दाखिल की गयी है। उक्त आदेश से यह स्पष्ट होता है कि अन्य भूखण्डों के साथ प्रश्नगत भूखण्ड विपक्षीगण के पूर्वज के स्वामित्व एवं दखल–कब्जा में थी।

(8) विपक्षी राम प्रीत पासवान एवं अन्य के द्वारा दिनांक 11.01.1993 के दो केवालों से $5\frac{5}{6}$ डी0 की बिक्री प्रमिला देवी को की गयी। पंजी–2 में प्रमिला देवी के नाम से जमाबंदी सं0 $\frac{34}{1}$ कायम है तथा लगान रसीद निर्गत हो रही है। वर्ष 2014–15 तक अद्यतन लगान रसीद निर्गत की गयी है एवं भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र भी निर्गत किया गया है। विक्रेता रामप्रीत पासवान वगैरह की जमाबंदी पूर्व से कायम है तथा बिक्री के पश्चात केवाला के आधार पर प्रमिला देवी को जमाबंदी सं0 $\frac{34}{1}$ कायम की गयी। अतः प्रमिला देवी की जमाबंदी को अवैध नहीं कहा जा सकता है।

सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आवेदक के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर अपने दावा के पक्ष में पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं कराया जा सका। प्रश्नगत भूखण्ड के लिए आवेदक अथवा उनके पूर्वज की जमाबंदी कायम रहने का भी कोई साक्ष्य नहीं है, जबकि विपक्षीगण रामप्रीत पासवान वगैरह की जमाबंदी वर्ष 1987 के पूर्व से कायम है। उनके द्वारा वर्ष 1990 में प्रश्नगत भूखण्ड के 7डी0 के अर्जन का मुआवजा भी प्राप्त किया गया है। विपक्षी रामप्रीत पासवान वगैरह के द्वारा वर्ष 1993 में $5\frac{5}{6}$ डी0 भूखण्ड की बिक्री प्रमिला देवी को की गयी, जिसके पश्चात प्रमिला देवी की जमाबंदी सं0 $\frac{34}{1}$ कायम की गयी। विपक्षी प्रमिला देवी की जमाबंदी को अवैध मान कर, उसे निरस्त नही किया जा सकता है।

आवेदक का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। आवेदक प्रश्नगत भूखण्ड पर स्वत्व के निर्धारण के लिए सक्षम व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। आदेश की प्रति अंचलाधिकारी, पुनपुन को भेजे तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख भी वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

7/5/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

7/5/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना